न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 668–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–2–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्र0क0 295/12–13/अपील.

अजयशंकर शर्मा पुत्र रूद्रदेव शर्मा
निवासी तेजसिंह काम्पलेक्स
सेवानगर, ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन
2– ममता शर्मा पत्नी सतीश पाराशर
निवासी रमटापुरा, पुरानी पुलिया के पास
न्यू गायत्री नगर, ग्वालियर ....आवेदकगण

श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी.के. शुक्ला, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री एस.एन. भान, अभिभाषक, अनावेदिका कमांक 2

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 10 सितम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 5–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम रमटापुरा स्थित सर्वे कमांक 227 (2) मिन है । उक्त सर्वे कमांक का खसरे में तो बटांकन है, परन्तु अक्स में बटांकन का अमल नहीं हुआ है, इस कारण

उसे शासकीय कार्यालयों में कार्यवाही करने में परेशानी हो रही है, अतः प्रश्नाधीन भूमि का जो बटांकन है, उसे अक्स में किए जाने हेतु पटवारी को निर्देशित किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 21/2010–11/अ–3 दर्ज किया जाकर दिनांक 28–2–2011 को आदेश पारित कर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत फर्द एवं बटान अक्स अनुसार स्वीकृत किया गया एवं राजस्व निरीक्षक को नक्से में लाल स्याही से तरमीम किए जाने के निर्देश दिये गये तथा ग्राम पटवारी को अमल करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–11 के विरूद्ध अनावेदिका कमांक 2 द्वारा दिनांक 9–7–12 को अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–1–2013 को आदेश पारित कर प्रथम अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–2–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, और दिनांक 28–2–2011 को बटांकन आदेश भी पारित हो गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–2–2011 के विरूद्ध अनावेदिका कमांक 2 द्वारा प्रथम अपील दिनांक 9–7–2012 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि बाह्य होने से निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनावेदिका कमांक 2 को दिनांक 27–6–2012 को तहसीलदार के आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हो गई थी, इसके बावजूद भी अपील एक माह पश्चात दिनांक 9–7–2012 को प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में गुण–दोष पर आदेश पारित किया गया है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गुण–दोष पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि जब प्रथम अपील में गुण–दोष पर आदेश पारित नहीं हुआ है, तब द्वितीय अपील में गुण–दोष पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त

द्वारा अपने आदेश में इस संबंध में कोई विवेचना नहीं की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्ष क्योंकर त्रुटिपूर्ण है । इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है । तर्कों के समर्थन में 2000 आर.एन. 153 एवं 1996 आर.एन. 258 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदिका कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 2 प्रश्नाधीन भूमि की अभिलिखित भूमिस्वामी है, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बटांकन आदेश पारित करने में उसे किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदिका कमांक 2 को बटांकन में आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए था, जो कि तहसील न्यायालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विलम्ब से अपील प्रस्तुत किए जाने के कारण अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत सकारण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, और जानकारी का स्रोत भी बतलाया गया था, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील अवधि बाह्य मान्य करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा 15 वर्ष पुराने खसरे की प्रविष्टियों के आधार पर बटांकन चाहा गया है, और तहसीलदार द्वारा 15 वर्ष पुराने खसरे की प्रविष्टियों के आधार पर बटांकन आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, अतः उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि को अनावेदिका कमांक 2 द्वारा पंजीकृत विक्रय के माध्यम से क्रय किया गया है । अतः तहसीलदार को बटांकन की कार्यवाही अनावेदिका कमांक 2 को सूचना एवं सुनवाई का

अवसर दिया जाना आवश्यक था, परन्तु उनके द्वारा अनावेदिका कमांक 2 को कोई सूचना नहीं दिये जाने के कारण तहसीलदार द्वारा पारित बटांकन आदेश विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । जहां तक अनुविभगीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका कमांक 2 द्वारा दिनांक 9–7–12 को लगभग 1 वर्ष 2 माह विलम्ब से प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, और उसके द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी को इस वैधानिक स्थिति पर विचार करना चाहिए था कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका कमांक 2 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, इस कारण वह तहसील न्यायालय के समक्ष बटांकन प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा उसे सूचना नहीं दी गई है । अनुविभागीय अधिकारी को समय–सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर प्रकरण का निराकरण नहीं कर गुण–दोष पर करना चाहिए था, क्योंकि प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण होने से हितबद्ध व्यक्तियों को वास्तविक न्याय प्राप्त होता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ कि आवेदक द्वारा 15 वर्ष पुराने खसरे के आधार पर बटांकन चाहा गया है, और इस अवधि में प्रश्नाधीन सर्वे नम्बरान में कितने और बटांकन/परिवर्तन हुए हैं स्पष्ट नहीं है । चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा 15 वर्ष पुराने खसरे के आधार पर बटांकन की कार्यवाही की गई है, इसलिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को आलोच्य कार्यवाही की सूचना नहीं होना स्वाभाविक है, और प्रश्नाधीन भूमि अनावेदिका कमांक 2 द्वारा वर्ष 2008 में कय की गई है, तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में तो विधिसंगत कार्यवाही की गई है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन नहीं करने में वैधानिक एवं न्यायिक त्रुटि की गई है, क्योंकि आवेदक द्वारा सर्वे कमांक 227 (2) मिन का अपने आपको भूमिस्वामी बताकर बटांकन की मांग की गई है, और अनावेदिका कमांक 2 द्वारा भी यह आधार लिया जा रहा है कि उसके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि कय की गई है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का बटांकन कर यह सुनिश्चित किया जाना न्यायसंगत होगा कि प्रश्नाधीन भूमि वास्तव में किसके स्वामित्व की भूमि है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश भी निरस्त किए जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–2–2014, अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–1–2013 एवं तहसीलदार, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–11 निरस्त किए जाते हैं । प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देते हुए विधि अनुसार प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 227 (2) के बटांकन की कार्यवाही कर बटांकन आदेश पारित किया जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर